भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3660
उत्तर देने की तारीख: 08.08.2022

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व

†3660. डॉ. शफ़ीकुर्रहमान बर्क:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे वंचित सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं;

(ख) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल उप कुलपतियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित उप कुलपतियों की संख्या कितनी है;

(ग) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल शिक्षको में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित प्रोफ़ेसरो, एसोसिएट प्रोफ़ेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या कितनी है; और

(घ) केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल रजिस्ट्रारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित रजिस्ट्रारों की संख्या कितनी है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क): भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शैक्षिक संस्था (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है। शिक्षा मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 45 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

पद	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
शिक्षण (45 केंद्रीय विश्वविद्यालय) (01.04.2022 के अनुसार)	8386	1306	568	1740	171	202	12373
शिक्षण (इग्नू) (30.06.2022 के अनुसार)	204*	43	15	28	2	-	292

गैर–शिक्षण (45 केंद्रीय विश्वविद्यालय) (01.04.2022 के अनुसार)	16132	2063	1186	2342	133	240	22096
गैर–शिक्षण (इग्नू) (30.06.2022 के अनुसार)	886*	172	67	60	0	-	1185

* सामान्य श्रेणी में पीडब्ल्यूडी भी शामिल हैं

(ख) में विश्वविद्यालयों केंद्रीय :, एक कुलपति है संबंधित से समुदाय जाति अनुसूचित (वीसी), एक कुलपति अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है और सात कुलपति ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं।

(ग) :केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल संकायों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के कार्यरत प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों की संख्या निम्नानुसार है – :

केंद्रीय विश्वविद्यालय	पद	सामान्य	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी	कुल
45 केंद्रीय विश्वविद्यालय (01.04.2022 के अनुसार)	प्रोफेसर	864	69	15	41	10	6	1005
	एसोसिएट प्रोफेसर	2275	195	63	132	23	12	2700
	सहायक प्रोफेसर	5247	1042	490	1567	138	184	8668
इग्नू (30.06.2022 के अनुसार)	प्रोफेसर	15*	1	0	0	0	-	16
	एसोसिएट प्रोफेसर	71*	11	2	2	0	-	86
	सहायक प्रोफेसर	118*	31	13	26	2	-	190

* सामान्य श्रेणी में पीडब्ल्यूडी भी शामिल हैं

(घ) : केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दो रजिस्ट्रार एससी समुदाय के हैं, पांच रजिस्ट्रार एसटी समुदाय के हैं और तीन रजिस्ट्रार ओबीसी समुदाय के हैं।

******